

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 221-45108-1132(2) - पटना, दिनांक वर्तमान
पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सको
के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ- 4 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित
किया जाता है :-

1	2	3	4
क्र०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	नव पदस्थापन जिला
1	डा० सुभाष चन्द्र पासवान	पटना	मुंगेर
2	डा० अमरेन्द्र कुमार सिंह	पटना	सारण
3	डा० श्रीमती कविता सिंह	जहानाबाद	पटना
4	डा० विनोद कुमार नं० 1	बक्सर	मुंगेर
5	ओम प्रकाश आर्या	नालंदा	मुंगेर
6	डा० विनोद कुमार नं०-2	पटना	समस्तीपुर

30/6

7	डा० रामभवन सिंह	पटना	समस्तीपुर
8	डा० उदय कुमार सिंह	पटना	समस्तीपुर
9	डा० अजित पाल चौधरी	नालंदा	समस्तीपुर
10	डा० शिवाजी सिंह	रोहतास	मुंगेर
11	डा० नवल किशोर सिंह	पटना	सारण
12	डा० अरुण कुमार	रोहतास	सारण
13	डा० जयंत कुमार	नालंदा	बेगुसराय
14	डा० अर्जुन राम	नालंदा	मुंगेर
15	डा० मनोज कुमार सिंहा,	मुजफ्फरपुर	समस्तीपुर
16	डा० सूर्यकान्त,	पटना	मुंगेर
17	डा० केदार नाथ गुप्ता	भोजपुर	मुंगेर
18	डा० ब्रजमूषण शर्मा	पटना	सारण
19	डा० अरविन्द कुमार डेढगवे,	गया	मुंगेर
20	डा० निर्मल कुमार ओझा,	गोपालगंज	सारण

Signature

Signature

21	डा० अमिश कुमार,	सीमामढी	समस्तीपुर
22	डा० नागेन्द्र भूषण सिंह,	रोहतास	समस्तीपुर
23	डा० नंद किशोर प्रसाद,	पटना	सारण
24	डा० विश्वजीत प्र० आजाद	पटना	सारण
25	डा० श्रीमती गायत्री सिंह,	सारण	समस्तीपुर
26	डा० अजय कुमार सिन्हा,	पटना	दरभंगा
27	डा० दिनानाथ पांडे	रोहतास	बक्सर
28	डा० परमेश्वर दयाल	नालंदा	सारण
29	डा० जय हिंद प्रसाद सिंह	पटना	सारण
30	डा० अनिल कुमार	पटना	वैशाली
31	डा० राधेश्याम सिंह	भूआ	बक्सर
32	डा० लाला विनय कुमार	पटना	दरभंगा
33	डा० शिव नारायण साह	मुंगेर	पूर्णिमा

5/10/24



34	डा० विकास चन्द्र वर्मा	शिवान	मुजफ्फरपुर
35	डा० अरुण कुमार	पटना	समरतीपुर

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।
3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।
4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
5. सभी संबन्धित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।
6. संबन्धित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

[Handwritten signature]

आपां 2 212- 45108- 1132 (2) दिना 30.6.08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै0दा10नि0को0)
विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना /
सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य / राज्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के के
सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक / विभाग के सभी पदाधिकारी / उप
सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2/3/9 एवं कम्प्यूटर कोषांग को
सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

3/6